न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.

प्रकरण : वाद

मुकदमा नम्बरः– 273/2023

1. रामकरण पुत्र श्रीनारायण जाति बागड़ा निवासी नारानोता तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

–वादी

बनाम

1. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

वादः– बाबत दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा काश्त0 अधि0

उपस्थित : 1. श्री नारायण सहाय पारीक अधिवक्ता वादीगण।

2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

: : आदेश : :

दिनांक :– 13/3/24

वादी ने वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम नासनोता, तहसील मौजमाबाद मे स्थित खाता संख्या 114 के आराजी ख0न0 419 रक़बा 0.0500 है0 व खाता संख्या 121 के आराजी ख0न0 627 रकबा 2.6600 हैक्टयर जिनके साबिक ख0न0 312 रकबा 0.0500है0 व आराजी ख0न0 445 रकबा 2.66 है0 भूमि स्वर्गीय श्री नारायण की वल्दियत नही लिखी हुई है। जो पर्चा आया उस समय से ही खाली छोड रखा है जबकि कब्जा काश्त स्वर्गीय श्रीनारायण जी का चला आ रहा था। खातेदार श्री नारायण जी के स्वर्गवास के पश्चात वादी का कब्जा होकर काश्त करता आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात के पुराने खसरा नम्बर 445 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा का पर्चा लादूराम, नाथूराम व श्रीनारायण के हक में जारी हुआ था लेकिन लादूराम, नाथूराम का स्वर्गवास काफी समय पूर्व हुआ था जिससे विरासत का नामांतकरण खुल गया जबकि स्व0 श्रीनारायण का विरासत नामातंकरण नही खोला जा रहा है, तथा इसी प्रकार खसरा न0 312 रकबा 0.05 है0 का ब्यौरा है। उक्त गलती सहवन से पर्चा सेटलमेंट के समय से ही हुआ है तथा स्वर्गीय श्रीनारायण ने अपने जीवनकाल में उक्त त्रुटि का पता भी नहीं चला लेकिन विरासत नामांतकरण के समय प्रतिवादी संख्या 1 के अधीनस्थ कर्मचारियों ने नामांतकरण खोलने से स्पष्ट इंकार कर दिया जिससे वादी ने प्रशासन गांवो के संग अभियान में भी सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा नेक सलाह इस आशय की प्रदान की, इन्द्राज दुरुस्ती का वाद न्यायालय में पेश करे जिससे इन्द्राज दुरूस्ती किया जा सके। उक्त दुरूस्ती के अभाव में वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। अतः श्रीमान वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में दर्ज चालू राजस्व अभिलेखों में वर्तमान में दर्ज श्रीनारायण पुत्र ....का नाम

उप खण्ड अधिकारी

हजफ किया जाकर उसके स्थान पर श्रीनारायण पुत्र गोपीराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराये।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित।

वादीगण के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 की ओर पेश रिपोर्टनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजीयात हाल ख0न0 627 रकबा 2.66 है0 किस्म बा02 श्री नारायण पुत्र ..... हिस्सा 1/4 जाति बागड़ा ब्राहम्ण व हाल ख0न0 419 रकबा 0.05 है0 किस्म बारानी 1 श्रीनारायण पुत्र ..... हिस्सा 1/6 जाति बागड़ा ब्राहम्ण सा0देह खातेदार दर्ज है। श्रीनारायण पुत्र गोपी कोम बागड़ा की मृत्यु दिनांक 21.09.2010 को हो चुकी है। परन्तु खाता संख्या 114 व 121 में वल्दीयत दर्ज नहीं होने से विरासत नामान्तकरण आदिनांक तक दर्ज होने से शेष है। उक्त वादग्रस्त आराजीयाता का पर्चा लादूराम,नाथूराम, श्रीनारायण बागड़ा सा0देह के नाम जारी हुआ था, खातेदार श्रीनारायण कोम बागड़ा के अलावा अन्य खातेदारान का विरासत नामान्तकरण खुल चुका है। भू–प्रबन्ध सम्वत 2004–2024 में खातेदार श्रीनारायण की वल्दियत का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही होने से नामान्तकरण की कार्यवाही नही की जा सकती है। मुताबिक फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 19.07.2024 के अनुसार खातेदार का नाम वल्दियत श्रीनारायण पुत्र गोपी कौम बागड़ा ब्राहम्ण ही होना बताया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है।

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुना। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के पिता का नाम श्रीनारायण पुत्र..... के बजाय श्रीनारायण पुत्र गोपी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया ।

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपांत अध्ययन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व ग्राम नासनोता की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 114 के आराजी ख0न0 419 रकबा 0.0500 है0 व खाता संख्या 121 के आराजी ख0न0 627 रकबा 2.6600 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 2.6600 है0, में वादीगण के पिता का नाम श्रीनारायण पुत्र ..... दर्ज रेकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वादीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण की छाया प्रति में वादीगण के पिता का नाम श्रीनारायण पुत्र गोपीराम बागड़ा दर्ज है। तहसीलदार रिपोर्ट की फर्द एवं अन्य दस्तावेजात के आधार पर श्रीनारायण की वल्दियत श्रीनारायण पुत्र गोपी होना प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित होने से वादीगण का यह वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–::आदेश::–

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नासनोता की जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 114 के आराजी ख0न0 419 रकबा 0.0500 है0 व खाता संख्या 121 के आराजी ख0न0 627 रकबा 2.6600 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 2.6600 है0 में वादीगण के पिता का नाम श्रीनारायण पुत्र ..... के स्थान पर श्रीनारायण पुत्र गोपी दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

वादग्रस्त आराजीयात में श्रीनारायण पुत्र ..... नाम राजस्व रिकॉर्ड में विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद के नाम तहरीर जारी की जावे। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिव किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(बलबीर सिह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
जिला जयपुर

उक्त आदेश आज दिनांक 13/01/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

(बलबीर सिह)
उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद
जिला जयपुर